

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर 2023—कार्तिक 12, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2023

क्र. 4135-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन वर्ष 2024 में अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका 5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने की अवधि	सेवानिवृत्ति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री अरुण कुमार सिंह (सीनियर)	11-01-1964	10-01-2024	31-01-2024
2	श्री दयाराम अहिरवार	20-01-1964	19-01-2024	31-01-2024
3	श्री अजीत सिंह	01-02-1964	31-01-2024	31-01-2024
4	श्री संतोष प्रसाद शुक्ला	02-03-1964	01-03-2024	31-03-2024
5	श्री सुरेश चन्द्र पाल	15-03-1964	14-03-2024	31-03-2024
6	श्रीमती माधुरी राजलालजी	23-03-1964	22-03-2024	31-03-2024
7	श्री आनंद प्रिय राहुल	14-04-1964	13-04-2024	30-04-2024

8513

निर्यत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	श्री अरुण कुमार वर्मा	24-04-1964	23-04-2024	30-04-2024
9	श्री राम प्रसाद सोनकर	30-04-1964	29-04-2024	30-04-2024
10	श्री सुधीर सिंह चौहान	04-05-1964	03-05-2024	31-05-2024
11	श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा	13-05-1964	12-05-2024	31-05-2024
12	श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय	28-05-1964	27-05-2024	31-05-2024
13	श्री बिनोद कुमार द्विवेदी	15-06-1964	14-06-2024	30-06-2024
14	श्री अजय कुमार टेलर	29-06-1964	28-06-2024	30-06-2024
15	श्री मधु सूदन मिश्रा	01-07-1964	30-06-2024	30-06-2024
16	श्री सुरेश सिंह	03-07-1964	02-07-2024	31-07-2024
17	श्री शैलेश भारती भदकारिया	09-07-1964	08-07-2024	31-07-2024
18	श्री रवीन्द्र कुमार भद्रसेन	13-07-1964	12-07-2024	31-07-2024
19	कु. सरिता वाधवानी	13-07-1964	12-07-2024	31-07-2024
20	कु. नीता गुप्ता	01-08-1964	31-07-2024	31-07-2024
21	श्री महेन्द्र सिंह तोमर	12-08-1964	11-08-2024	31-08-2024
22	श्री अफसर जावेद खान	16-08-1964	15-08-2024	31-08-2024
23	कु. भावना साधो	17-08-1964	16-08-2024	31-08-2024
24	श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव	04-09-1964	03-09-2024	30-09-2024
25	श्री देवीलाल सोनिया	23-09-1964	22-09-2024	30-09-2024
26	श्री दीपेश कुमार तिवारी	01-10-1964	30-09-2024	30-09-2024
27	श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर)	17-10-1964	16-10-2024	31-10-2024
28	श्री सुनील कुमार जैन (सीनियर)	30-10-1964	29-10-2024	31-10-2024
29	श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल	09-11-1964	08-11-2024	30-11-2024
30	श्री शचिन्द्र श्रीवास्तव	13-11-1964	12-11-2024	30-11-2024
31	श्री राकेश कुमार गुप्त	15-11-1964	14-11-2024	30-11-2024
32	श्री संजीव कुमार पान्डेय	16-12-1964	15-12-2024	31-12-2024
33	श्री सुबोध कुमार जैन	27-12-1964	26-12-2024	31-12-2024
34	श्रीमती सुरभि मिश्रा	01-01-1965	31-12-2024	31-12-2024
35	श्रीमती उषा गेडाम	01-01-1965	31-12-2024	31-12-2024
36	श्री बलराम यादव	01-01-1965	31-12-2024	31-12-2024

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2023

फा. क्र. 5224-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री सुनील कुमार मिश्र, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी की, उनके आवेदन दिनांक 13 अक्टूबर 2023 के फलस्वरूप, ऑल इण्डिया सर्विसेस (डेथ-कम-रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स) रूल्स 1958 के नियम 16(2) सहपठित मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ-कम-रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स) रूल्स, 1964 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को दोपहर पश्चात् से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करता है.

फा. क्र. 5225-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड की, उनके आवेदन दिनांक 30 सितम्बर 2023 के फलस्वरूप, ऑल इण्डिया सर्विसेस (डेथ-कम-रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स) रूल्स, 1958 के नियम 16(2) सहपठित मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ-कम-रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स) रूल्स, 1964 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2023 को दोपहर पश्चात् से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करता है.

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2023

फा. क्र. 5309-इक्कीस-ब(एक).—राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) एवं यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के सदस्य-सचिव के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

F. No. 5309-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh appoints on deputation Shri Ratnesh Chandra Singh Bisen, Principal District & Sessions Judge, Rajgarh as Member-Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2023

क्र. एफ 07-42-2021-अठारह-5.—श्री राकेश "गोलू" शुक्ला, उपाध्यक्ष, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2023 को त्याग-पत्र दिये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 42(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, त्याग-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2023

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ 12-17-2019-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-12-17-2019-अठारह-5, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 क (1) (क) के अधीन इन्दौर विकास योजना, 2021 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 2785-2016 में पारित आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2017 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस. एल. पी. क्रमांक 3705-2023-(डायरी 41816-2022) में पारित आदेश दिनांक 17 फरवरी 2023 के अनुपालन में उपांतरण सूचना जारी की गई थी उक्त सूचना के नोट—“प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग की इन्दौर विकास योजना-2021 में प्रस्तावित चौड़ाई 30.00 मीटर तथा मानिक बाग मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है. अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा” के टंकन त्रुटि सुधार करते हुए उक्त के स्थान पर “प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग की इन्दौर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित चौड़ाई 36.00 मीटर तथा मानिक बाग मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है. अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा” पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.